Ch... b... ...n gated. 1/5/10...

अंक १

संख्या १

सोमवार,
१५ फरवरी, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

Preservation Unit
Fumigated
On 7.11.83
Parliament Library

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक १ में संख्या १ से संख्या १५ तक है)

भाग २——प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र——

- राष्ट्रपति का अभिभाषण [पृष्ठ भाग १——९]
- राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण [पृष्ठ भाग १५——१७]
- प्रख्यापित किए गए अध्यादेश [पृष्ठ भाग १७——१८]
- पेप्सू के लिए राष्ट्रपति के अधिनियम [पृष्ठ भाग १८——२०]

कुम्भ मेले की दुखद घटना [पृष्ठ भाग ९——१०]

श्री नामधारी का देहान्त [पृष्ठ भाग १०]

श्री भत्रहारी महाता की नज़रबन्दी [पृष्ठ भाग १०——११]

स्थगन प्रस्ताव——

- कुम्भ मेले की दुखद घटना [पृष्ठ भाग ११——१५]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

682 PSD

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, श्री० श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर)

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व)

अचलू, श्री सुकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिंत राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (कैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलश-कटवा)

अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी-महासु)

अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलैपट)

अस्थाना, श्री सीताराम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

अहमद मुहीउद्दीन, श्री (हैदराबाद नगर)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली—पश्चिम)

आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्युन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री एल० (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मांडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रताप गढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुरई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कथम, श्री वीरेन्द्रनाथ] (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

कण्डासामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचनगोड़)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद उत्तर-पश्चिम)

करमरमर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंहजी, हिज़ हाईनैस महाराजा श्री बहादुर आफ़ बीकानेर (बीकानेर—चूरू)

कासलीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा-झालावाड़)

काचिरोयर, श्री एन० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काजमी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फ़ैज़ाबाद—दक्षिण-पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्रीविल्लीपुत्तूर)

काले, श्रीमती अनुसुय्याबाई (नागपूर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराइच—पूर्व)

करोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, आचार्य जे० बी० (भागलपुर व पूर्निया)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्ण स्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)

कोसा, श्री मुचाकी (बस्तर—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

कौत्तकपल्ली, श्री जार्ज टामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री शाहनवाज़ (ज़िला मेरठ—उत्तर-पूर्व)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम)

खोमजी, श्री भवन जी ए० (कच्छ—पश्चिम)

खर्डेकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)

खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा—पूर्व)

गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहर विष्णु (पूना—मध्य)

गिडवानी, श्री चोयथ राम परताबराय (थाना)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम)

गिरिराज सरन सिंह, श्री (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)

गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व)

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम कादिर, खान (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्नानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोविंद दास, सेठ (मंडला—जबलपुर—दक्षिण)

गोहैन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिमजाति क्षेत्र)

गौडा, श्री टी० मादिया (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम)

गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

गाडिलिंगन गौड, श्री (कुरनूल)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)

चटोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाडा)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चरक, श्री लक्ष्मन सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चानदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री वी० वीआर एन० एआर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री रणवीर सिंह (रोहतक)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसराबपेट)

चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण —रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हज़ारी बाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित —अनुसूचित आदिम जातियां)

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम्—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित —अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारी बाग़ व रांची—रक्षित —अनुसूचित आदिम जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित —अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (ढेनकनाल—पश्चिम कटक —रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-क्योंझर— रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई— उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद— पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर— पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर— उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर— दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच— पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि— दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाज़ापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तमदास (ज़िला इलाहाबाद— पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरणाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ— रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तालिब, श्री प्यारे लाल कुरील (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिरुकुरलार, श्री वी० मुनिस्वामी (टिंडीवनम्)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़)

तिवारी, श्री वैंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तूडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

तुलसी दास, श्री किलाचन्द (मेहसाना—पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुज़फ़्फ़र-नगर—दक्षिण)

त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री (ज़िला बनारस पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दाभी, श्री फूलसिंह जी० बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तर पी० (तेलिचेरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांव उत्तर)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री बी० (जाजपुर-क्योंझर)

दास, श्री बेली राम (बारपेटा)

दास, डा० मन मोहन (वर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामधनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)

दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा मध्य)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी—पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)

दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रपुर—उत्तर पूर्व)

दुबे, श्री उदयशंकर (ज़िला बस्ती उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—उत्तर)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)

देव, श्री चण्डीकेश्वर शरण सिंह जू (सुरगुजा-रायगढ़)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा—पूर्व)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)

देव, हिज़ हाइनैस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी-बोलनगिर)

देवगम, श्री कान्हू राम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (कोलाबा)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

देसाई, श्री कन्हैया लाल नानाभाई (सूरत)

देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० बी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)

धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्द्रा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकांठा)

नटवाडकर, श्री जयन्तराव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहन, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)

नरसिंहम, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नानादास, श्री मंगलगिरी (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजामुंड्री)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्करा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरायिन्किल)

नायर, श्रीमती शकुन्तला (ज़िला गोंडा—पश्चिम)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलदुर्ग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)

नेंसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी श्री ए० (नागरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ—मध्य)

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)

पन्ना लाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

पांडे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पांडे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर)

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटल, श्री एस० के० (बम्बई नगर—दक्षिण)

पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमदनगर उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौडा (बेलगांव दक्षिण)

पाथिकर, डा० देवराव नामदेवराव (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पारिख, डा० जयंतीलाल नरवरम् (झालावाड़)

पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना—पूर्व)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (आलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलप्पुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)

बदनसिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर-झड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुरसिंह, श्री (फ़िरोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुदं)

बाबूनाथ सिंह, श्री सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्ण, श्री एस० सी० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्रह्मण्यम् श्री एस० (मदुरई)

बाल्मीकि, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री सी० आर० (टुमकुर)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)

बुच्चिकोट्य्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बूबराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर—दक्षिण)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)

ब्रह्मा, चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्र शंकर (भड़ौच)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालौर)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर—दक्षिण)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा-डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भोय, श्री गिरधारी (कालाहांडी-बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भोंसल, श्री जगन्नाथ राव कृष्णराव (रत्नागिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मयुरम, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिण कनड़ा—उत्तर)

मल्लूडोरा, श्री गाम (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)

महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

महेन्द्र नाथ सिंह, श्री (सारन मध्य)

महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)

माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माझी, श्री चैतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना—दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर-दतिया टीकमगढ़—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिनीमाता, श्रीमती (विलासपुर दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (विलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया उत्तर)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)

मुक्णे, श्री वाई० एम० (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मुतुकृष्णन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोणम्)

मुरलो मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद इस्लामुद्दीन, श्री (पूर्निया उत्तर पूर्व)

मुहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोड)

मेहता, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम्)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)

मौहम्मद सईद मसूदी, मौलाना (जम्मू तथा काश्मीर)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा—पूर्व)

रजमी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहौर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राघवय्या, श्री पिशुपति वैंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राज बहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)

राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राम नगीना सिंह, श्री (ज़िला गाज़ीपुर—पूर्व—व ज़िला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारीबाग पश्चिम)

राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती—मध्यपूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)

राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामसामी, श्री एम० डी० (अरुपक्कोटाई)

राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राय जी, श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर)

राय, श्री पातीराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, श्री कनेटी मोहन (राजामुंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री कोंड्र सुब्बा (एलूरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा—दक्षिण)

राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मानाबाद)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)

रिचर्डसन, विशप जॉन (नाम निर्देशित-अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूब नगर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोडा)

रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)

लल्लनजी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)

लाल सिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर-लुधियाना)

लास्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)

लैसराम जोगेश्वर सिंह, श्री (आन्तरिक मनीपुर)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकीराम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)

वर्मा, श्री माणिक लाल (टोंक)

वर्मा, श्री राम जी (ज़िला देवरिया—पूर्व)

वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटे)

वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आजमगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वेंकटारामन्, श्री आर० (तंजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)

बोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपाडयन्, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (जिला मेरठ—दक्षिण)

शर्मा, श्री खुशी राम (जिला मेरठ—पश्चिम)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व)

शर्मा, श्री राधा चरण (मरैना—भिंड)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम)

शास्त्री, श्री भगवानदत्त (शाहडोल सिद्धि)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (ज़िला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दु मती (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर)

शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)

शाह, श्री रायचन्द भाई एन० (छिंदवाड़ा)

शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चितूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवननज़प्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां)

सक्सेना, श्री मोहनलाल (ज़िला लखनऊ व जिला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)

सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री रघुवीर (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व)

सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा—पूर्व)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुंई)

सिंह, ठाकुर जुगल किशोर (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर—पश्चिम)

सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुज़फ़्फ़रपुर—पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारी बाग पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विज़ियानगरम्)

सुब्रह्मण्यम, श्री टेकूर (वेल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूफी, श्री मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना—भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया मध्य)

सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बुन्दी)

सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)

सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (क़ुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पॉल जुझार (पूर्निया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (क़ुष्टगी)

स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हजारिका, श्री जोगेन्द्रनाथ (डिब्रूगढ़)

हर प्रसाद सिंह, श्री (ज़िला गाज़ीपुर—पश्चिम)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हरिशंकर प्रसाद, श्री (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

हिफ्ज़ुर्रहमान, श्री एम० (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

क्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)

हेंडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हेंमराज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा—उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाधन

श्री हरि विनायक पाटस्कर

सरदार हुक्म सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्रीमती बी खोंगमन

सचिव

श्री एम० एन० कौल, बैरिस्टर-एट-लॉ

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव (**सभापति**)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री सी० पी० मैथ्यू

श्री पी० एन० राजभोज

लोक लेखा समिति

श्री बी० दास (**सभापति**)

श्री रणबीर सिंह चौधरी

श्री हरि विनायक पाटस्कर

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह

श्री एम० एल० द्विवेदी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल

श्री श्री नारायण दास

श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी

श्री उमा चरण पटनायक

पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा

श्री के० एम० वल्लाथरास

श्री वी० पी० नायर

श्री जी० डी० सोमानी

प्राक्कलन समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)

श्री सारंगधर दास

श्री राधेलाल व्यास

श्री देवेश्वर सर्मा

श्री नित्यानन्द क़ानूनगो

पंडित बालकृष्ण शर्मा

श्री शिवराम रांगो राने

श्री वी० बी० गांधी

श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन

श्री आर० वेंकटारमन

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता

डा० सैयद महमूद

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सी० पी० मैथ्यू

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री रायासम शेषगिरि राव

श्री अहमद मुहीउद्दीन

श्री गिरिराज सरन सिंह

डा० सुरेश चन्द्र

श्री मोहन लाल सक्सेना

डा० लंका सुन्दरम्

श्री काडयाला गोपाल राव

श्री मुनिस्वामी तिरुकुरलार

श्री पी० एन० राजभोज

सरदार लाल सिंह

सदन कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

श्री सत्य नारायण सिन्हा

श्री हरेकृष्ण महताब

श्री नरहर विष्णु गाडगिल

श्री देव कान्त बरुआ

श्री हरि विनायक पाटस्कर

कर्नल बी० एच० ज़ैदी

श्रीमती अम्मू स्वामीनाधन

श्री पी० टी० पुन्नूस

श्री सारंगधर दास

सरदार हुक्म सिंह

श्री चन्द्रिकेश्वर शरण सिंह जू देव

डा० लंका सुन्दरम्

विशेषाधिकार समिति

डा० कैलाश नाथ काटजू (**सभापति**)

श्री सत्य नारायण सिन्हा

श्री ए० के० गोपालन

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री सारंगधर दास

श्री बी० शिवा राव

श्री आर० वेंकटारमन

डा० सैय्यद महमूद

श्री राधेलाल व्यास

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिन्हा

चौधरी हैदर हुसैन

श्री ओ० वी० अलगेशन

पंडित अलगू राय शास्त्री

श्री ए० के० बसु

श्री शिवराम रांगो राने

डा० एन० एम० जयसूर्य

श्री के० केलप्पन

श्री एन० सी० चटर्जी

एच० एच० महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह, **देव**

श्री जयपाल सिंह

श्री के० सुब्रह्मण्यम्

गृह-व्यवस्था समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (**सभापति**)

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह

श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा

श्रीमती अम्मू स्वामीनाधन

कर्नल बी० एच० जैदी

श्री तुलसीदास किलाचन्द

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री के० ए० दामोदर मैनन

श्री सारंगधर दास

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर

श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री एम० एल० द्विवेदी

श्री उमा चरण पटनायक

श्री एम० डी० जोशी

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री वी० एन० तिवारी

श्री हृदय नाथ कुंजरू

श्री आर० डी० सिंह दिनकर

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री––श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री––मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

संचार मंत्री––श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री––राजकुमारी अमृत कौर

वित्त मंत्री––श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री––श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री––डा० कैलाश नाथ काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री––श्री रफ़ी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री––श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री––श्री सी० सी० बिस्वास

रेलवे तथा परिवहन मंत्री––श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री––सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री––श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री––श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमण्डल की कोटि के मंत्री

(परन्तु मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं)

संसद-कार्य मंत्री––श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री––श्री अजित प्रसाद जैन

रक्षा संगठन मंत्री––श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री––डा० बी० वी० केसकर

वाणिज्य मंत्री––श्री डी० पी० करमरकर

कृषि मंत्री––डा० पंजाबराव एस० देशमुख

उपमंत्री

संचार उपमंत्री––श्री राज बहादुर

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री––श्री के० डी० मालवीय

रक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

गृह-कार्य उपमंत्री—श्री बलवन्त नागेश दातार

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

वित्त उपमंत्री—श्री मणिलाल चतुरभाई शाह

पुनर्वास उपमंत्री—श्री जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले

रेल तथा परिवहन उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन

स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री एम० वी० कृष्णप्पा

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी

रक्षा उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

वित उपमंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुहा

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

अंक १ भारत की प्रथम संसद् के छठे सत्र का प्रथम दिवस संख्या १

लोक सभा

सोमवार, १५ फरवरी, १९५४

सभा दो बज कर पैंतीस मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय (श्री जी० वी० मावलंकर) पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

———

२.३५ म० प०

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सचिव : १५ फ़रवरी १९५४ को एक साथ एकत्रित हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति मैं सदन पटल पर रखता हूं।

———

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, मैं आज पूरे एक वर्ष के बाद संसद् के नये सत्र के लिये आप लोगों का स्वागत करने यहां आया हूं। इस एक वर्ष की अवधि में आपको बहुत सी गहन समस्याओं और भारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा है। इनमें से बहुत सी समस्याएं अभी भी उसी प्रकार हमारे साथ हैं, किन्तु मेरा विश्वास है आप लोग कह सकते हैं कि गत वर्ष में काफ़ी सफलता मिली है। अविजेय बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय पाने के मानव के अदम्य उत्साह के प्रतीकस्वरूप एवरेस्ट की अन्तिम विजय हुई। इस महत्वपूर्ण सफलता में एक वीर भारतीय का भी हाथ था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुराने भय और तनाव अब भी पहले के समान बने हैं। परन्तु समझौते के प्रयत्न बराबर जारी हैं और मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप तनाव के वातावरण में सुधार होगा और पश्चिम तथा सुदूर पूर्व में भावी समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

भारत, संसार के सभी देशों के साथ शान्ति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब यह आशा हुई कि हम शान्ति स्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने ज़िम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्ध बंदियों के भविष्य के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिये संरक्षक सेना वहां भेजी। दुर्भाग्यवश विराम सन्धि समझौते में सुझायी गयी पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी। कुछ

[राष्ट्रपति]

दिनों में ही आयोग अपना काम खत्म कर देगा और अब संरक्षक सेना धीरे धीरे भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवाद-ग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निबटारा नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद् में, अथवा कहीं और, इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जायेगा। आप सब की ओर से और मैं अपनी ओर से, कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षक सेना के अफ़सरों तथा सिपाहियों की इस बात के लिये प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निष्पक्षता के साथ निभाया।

विदेशों से भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी कभी ग़लतफ़हमियां पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के सम्बन्ध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकातें हुईं। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में, जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्री लंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अन्तिम रूप से निबटारा नहीं होता, परन्तु उस दिशा में यह पहला क़दम है और समस्या के हल के लिये गम्भीर प्रयास है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों, श्रीलंका तथा बर्मा से, जिनके साथ हमारा भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है।

पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। मुझे खुशी है कि सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गयी है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो गये हैं। मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूं, जो स्वयमेव तो शुभ है ही, चिरकाल से त्रस्त और आजकल भी अनेक संकटों के शिकार अफ़्रीकी भूखंड की भावी उन्नति के लिये भी यह एक शुभ लक्षण है।

गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण के बाद भारतीय संघ में आंन्ध्र नामक नये राज्य का उदय हुआ है। भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूं और नये राज्य की सफलता की कामना करता हूं। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के लिये एक आयोग की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी सदस्य रक्खे हैं। यह कार्य बड़े और ऐतिहासिक महत्व का है। इसे वस्तुगत रूप से पूर्ण शांतचित्तता के साथ करना है, जिससे कि सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे।

हमारे संघ के दो राज्यों में, त्रावनकोर-कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में, आजकल आम चुनाव हो रहे हैं। उपर्युक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारू रूप से नहीं चल सका और नये चुनाव होने तक प्रशासन का कार्य भार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा।

हमारी प्रथम पंच-वर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परन्तु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विशेष रूप से सामुदायिक योजनाओं के कार्य में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्रीगणेश अक्टूबर, १९५३ में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है। इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत उत्साहवर्धक है। इस कार्य का यह पहलू बहुत ही आशाजनक है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई एक दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोज़गारी की समस्या मेरी सरकार के लिये चिन्तन का विषय है। लोगों को अधिक रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है।

साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। १९५२–५३ में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा पचास लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है। खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में, विशेषकर सूती कपड़े, काग़ज़, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत से इंजीनियरिंग सम्बन्धी उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफ़ी ज्यादा होता रहा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़ कर १९५३ में १३४ हो गयी जबकि १९५२ में वह १२९ थी। युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है। इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात के एक नये कारख़ाने की स्थापना के सम्बन्ध में इस समय अन्तिम कार्यवाही हो रही है। जूट और चाय उद्योग; जिन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, अब अच्छी स्थिति में हैं।

मेरी सरकार घरेलू उद्योगों की उन्नति को विशेष महत्व देती है। मझे खेद है कि इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं की जा सकी है। आशा है कि अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय करघा बोर्ड और अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के प्रयत्न इस दिशा में निकट भविष्य में ही ठोस कार्य कर सकेंगे।

महान् नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति हुई है और इन योजनाओं में से कुछ पूर्ण भी हो चुकी हैं और इस समय चालू हैं। पांच नयी योजनाएं, अर्थात् कोसी, कोयना, कृष्णा, रिहांड और चम्बल योजनाएं, पंच-वर्षीय योजना म शामिल कर ली गई हैं। इन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आगामी वित्तीय वर्ष में इन्हें चालू किया जा सके। कोसी योजना के बारे में नपाल सरकार से बातचीत चल रही है।

भारत के हवाई यातायात का पुनर्गठन हो चुका है और दो सरकारी निगम, एक भीतरी यातायात के लिये और दूसरा विदेशी यातायात के लिये, स्थापित किये जा चुके है। विचार हो रहा है कि विदेशी सर्विसों का विस्तार करके उन्हें सुदूरपूर्व तक ले जाया जाय।

पिछले साल हमने दो युगान्तरकारी घटनाओं को मनाया—जो भारत में रेल व्यवस्था तथा तार-डाक व्यवस्था की शता-

[राष्ट्रपति]

ब्दियां हैं। रेल यातायात में बराबर प्रगति हुई है और रेल के डिब्बों तथा इंजनों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नये रेल मार्ग खोलने के लिये निकट भविष्य में कई एक बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जायगा। डाक और तार सम्बन्धी सुविधाओं का भी, विशेष रूप से देहाती और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, विस्तार किया गया है।

मेरी सरकार घरों की समस्या को महत्व-पूर्ण मानती है। विभाजन के बाद से विस्थापित लोगों के लिये घरों पर अभी तक ७२ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं के लिये घरों के निर्माण के वास्ते ऋण और सरकारी सहायता दी गई है। सस्ते और आकर्षक मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हाल में ही एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ओर बहुतों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।

१९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा आपके सम्मुख रखा जायगा।

ससद् के विगत सत्र के बाद सात अध्यादेश प्रवर्त्तित करने आवश्यक हो गये। इन में से दो का सम्बन्ध उन दो मामलों से है जिनके बारे में एक विधेयक अभी आपके विचाराधीन है। इनमें से उन सभी अध्यादेशों पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा, जिन्हें स्थायी विधान का रूप देना आवश्यक होगा।

आपके सम्मुख २८ विधेयक विचाराधीन हैं। इन में से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं। दूसरे विधेयक जिन पर प्रवर समितियां आजकल विचार कर रही हैं, उक्त समितियों की सिफारिशों समेत आपके सामने रखे जायेंगे। इन विधेयकों में हिन्दू विधि के सुधार सम्बन्धी विधेयक भी सम्मिलित हैं, जिन्हें मेरी सरकार बड़ा महत्व देती है। संसद् के इस सत्र में आपके सम्मुख अन्य विधायी प्रस्ताव भी रक्खे जायेंगे जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक कल्याण से है। न्यायालयों के कार्य को गतिशील करने और मुक़दमेबाजी के व्यय को घटाने के लिये न्यायिक कार्य प्रणाली में सुधार करने को मेरी सरकार बहुत उत्सुक है।

इस मास के आरम्भ में इलाहाबाद में कुम्भ मेले के समय एक भीषण दुर्घटना घटी। इस अवसर पर यात्रियों का अपूर्व जन-समूह एकत्रित हुआ था। इस विशाल जनसमुदाय की सुविधा के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन्तोषजनक व्यवस्था करन का बड़ा प्रयास किया था। परन्तु अमावस्या के दिन अचानक एक दुर्घटना घटी जिसके कारण बहुत से लोग बेक़ाबू भीड़ के पांव तले आकर रौंदे गये और मर गये। इस दुखद दुर्घटना से यह शुभ समागम विषादपूर्ण बन गया और हमारे अनेक देश-वासियों के लिये शोक का विषय हो गया। आपकी ओर से, और मैं अपनी ओर से, दिवंगत आत्माओं के सभी सम्बन्धियों को समवेदना तथा सहानुभूति भेजता हूं।

नये वर्ष का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि इस में जितनी आशा की झलक है उतना ही भय भी दिखाई देता है। शान्ति स्थापना में प्रगति और तत्सम्बन्धी प्रयत्नों के सफल होने की आशा है। हमें और विश्व को कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की आशंका भी है। मानव जाति के लिये इस संकट के समय में हम अपने देश की और समस्त विश्व की सेवा कर सकते हैं यदि हम उन सिद्धान्तों पर अडिग रहें जिन्होंने अतीत में हमारा पथ-प्रदर्शन किया है और यदि हम राष्ट्रपिता के शान्ति, सहिष्णुता और आत्मविश्वास के सन्देश को याद रक्खें। मैं

विश्वास करता हूं कि आपके कार्य कलाप में यह सन्देश आपका पथ आलोकित करेगा।

कुम्भमेले की दुखद घटना

प्रधान मंत्री तथा सदन नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस अवसर पर इस सत्र द्वारा कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व मैं आपकी अनुमति से एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। अभी हमने राष्ट्रपति के भाषण में कुम्भ मेले की दुःखद घटना का निर्देश सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत आत्माओं के परिवारों के प्रति शोक और संवेदना प्रकट करने में प्रत्येक सदस्य हमारे साथ है।

मेरे लिए यह अवसर इस भयानक घटना ब्योरे में जाने का नहीं है, कुछ तो इसलिए कि एक समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, और कुछ इसलिए कि सम्बन्धित राज्य सरकार इस मामले को व्यवहृत कर रही है। इस अवसर पर हममें से कई वहां मौजूद थे, यद्यपि दुर्घटना के वास्तविक स्थल पर नहीं। मैं स्वयं भी मेले में मौजूद था, किन्तु मैं किले की बालकोनी में था जहां से इस विशाल जन-समुद्र का दृश्य देख रहा था। वहां कम से कम ४० लाख व्यक्ति एकत्रित हुए थे, और जिसने भी इस महान् मानव-समूह को देखा वह कभी इसे विस्मृत नहीं कर सकता। यह एक गहरा आघात था कि इस महान् अवसर के समय जबकि इतने लोग एक साथ एकत्र हुए थे, यह दुखान्त घटना घटी जिसमें अनेकों को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा।

जैसा मैंने कहा, मैं इस प्रक्रम पर इस दुर्घटना के तथ्यों में नहीं जाना चाहता, किन्तु मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि हम आज का कार्य इस दुखपूर्ण घटना पर शोक और संवेदना प्रकट करने के बाद प्रारम्भ करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदन नेता द्वारा व्यक्त किए गये भावों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। यह दुखान्त घटना इतनी अप्रत्याशित तथा इतनी वृहत् थी कि एक प्रकार से समस्त भारत संघ पर इसका प्रभाव पड़ा है, प्रत्येक हृदय के मर्म को इसने प्रभावित किया है। दो मिनट मौन खड़े होकर हम मृतात्माओं के परिवारों के प्रति संवेदना तथा सहानुभूति प्रकट करेंगे।

(सदस्यगण दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

श्री नामधारी का देहान्त

अध्यक्ष महोदय : सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खेद होता है कि सदन के सदस्य श्री आत्मासिंह नामधारी का ५३ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। अपना दुख प्रकट करने के लिए यह उचित होगा कि सदन दो मिनट मौन खड़ा हो।

(सदस्यगण दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री भजहारी महाता की नज़रबन्दी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि पुरूलिया, मानभूम, बिहार के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से मुझे यह पत्र मिला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५०२ के अंतर्गत उनका श्री भजहारी महाता, संसद् सदस्य, को नज़रबन्द करने का आदेश जारी करना आवश्यक हो गया क्योंकि श्री साहादेव चक्रवर्ती ने जिन्होंने कि एस० डी० ओ० द्वारा जारी किए गये समन की जमानत दी थी, अब उनका ज़ामिन होना नामंजूर कर दिया है तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए उन्हें न्यायालय को सौंप दिया है क्योंकि उनके अनुसार श्री महाता जमानत पर नहीं रहना चाहते। श्री महाता से दूसरी ज़मानत देने को कहा गया किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि उनके दल लोक सेवा संघ की नई नीति के अनुसार उन्होंने यह मार्ग अपनाया है। तदनुसार २२

[अध्यक्ष महोदय]

जनवरी, १९५४ को उन्हें हिरासत में ले लिया गया तथा उन्हें पुरुलिया, मानभूम, के जिला जेल में रक्खा गया है।

स्थगन प्रस्ताव

कुम्भ मेले की दुखद घटना

अध्यक्ष महोदय : कुम्भ मेले की दुःखद घटना के सम्बन्ध में मुझे तीन स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन पर अपना निर्णय देने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि ये प्रस्ताव इस सदन में किस प्रकार ग्राह्य हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हैं, किन्तु जिन माननीय सदस्यों ने ये प्रस्तुत किए हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन प्रस्तावों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में उन्हें कुछ कहना है।

इनकी अग्राह्यता का एक और कारण है। सारे मामले की जांच के लिए एक समिति बिठाई गयी है और जब तक कि उस समिति की जांच से तथ्य ज्ञात न हो जाएं, इस मामले पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस घटना का ज़िक्र किया गया है, और स्थगन प्रस्ताव पर चाहे इस पर चर्चा करना स्वीकार्य न हो, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा करते समय मैं समझता हूं इसका निर्देश परिहार नहीं किया जा सकता।

अन्य कारण भी हैं, किन्तु मुख्य कारण यह है कि इसमें केन्द्र की जिम्मेवारी नहीं है। मेला के प्रबन्ध की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, केन्द्र की नहीं और इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता स्वीकार नहीं कर सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, यह दुखान्त घटना समस्त राष्ट्र से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने ही उत्तर प्रदेश सरकार को यात्री शुल्क लगाने की अनुमति दी थी। यात्रियों को दी गयी सुविधा के मामले में भी केन्द्र ने उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। और इन सब बातों से भी ऊपर, इस बात का कारण कि स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाए यह है कि कई केन्द्रीय मंत्री वहां उपस्थित थे और इस दुखान्त घटना का मुख्य कारण उनके लिए किए गये प्रबन्ध हैं। केवल यही नहीं, यह दुर्घटना होने के पश्चात् उनमें से कितने ही चाय पार्टियों आदि में भाग ले रहे थे, जिससे समस्त भारत को धक्का पहुंचा है। ये ही कारण है कि हम समझते हैं कि इस मामले पर सदन में बहस की जाए।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मेरा निवेदन यह है कि इस घटना पर केन्द्र तथा इस सदन का ध्यान इसलिए आकर्षित होना चाहिए कि यह इतनी वृहत राष्ट्रीय विपत्ति है कि सारा भारत शोकमय हो गया है। इस दुर्घटना में केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, अपितु कितने ही अन्य राज्यों के लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त जब यह दुर्घटना घटी उस समय वहां राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के कितने ही सदस्य मौजूद थे। फिर राष्ट्रपति ने यात्री कर की अनुमति देते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। इस प्रकार बड़ी संख्या में लोग इस मेले में आकर्षित हुए तथा मेले के प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय अध्यादेश द्वारा रुपया एकत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के सम्मान में इस दुर्घटना के पश्चात् भी एक भोज दिया गया जिसमें संघ तथा राज्यों के कई मंत्री मौजूद थे तथा गाने बजाने का.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के विषय से परे जा रहे हैं। इन तथ्यों की अभी जांच की जानी है। महज़ अखबारी समाचारों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि समस्त राष्ट्र से इसका सम्बन्ध नहीं था तो सदन इस भयानक दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के लिए अपना शोक प्रकट करने को अभी क्यों खड़ा हुआ था ?

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पुर्निया) : सरकार द्वारा मेले में जाने के लिए असाधारण प्रचार किया गया था तथा मुसाफिरों को सुविधाएं प्रदान करने का वचन दिया गया था। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। रेलें यात्रियों से बुरी तरह भरी हुई वहां पहुंचीं, यहां की रेलों की छत्त पर भी यात्रियों ने यात्रा की। इनमें से अनेक यात्री यात्रा के दौरान में ही मर गये। ये सब बातें केन्द्रीय सरकार को ज्ञात थीं। केन्द्रीय सरकार रेल तथा अन्य यातायात का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी थी, और इस यातायात के दौरान में लोगों की मृत्युएं हुईं। सरकार ने उन्हें इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए नहीं रोका। इसलिए केन्द्र की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार से कम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता मानी जानी चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, जैसा कि आपने कहा है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण ही राष्ट्रपति को अपने भाषण में इसका उल्लेख करने की सलाह दी गई। रेलों को छोड़ कर जिनसे केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, पुलों के निर्माण में केन्द्रीय सरकार के सैन्य इंजिनियरों ने सहायता दी थी। मेरा विश्वास यह भी है कि सेना से कहा गया था कि वह किसी भी आकस्मिक आवश्यकता में आ कर सहायता देने के लिये तैयार रहे।

यद्यपि यह हिन्दुओं का एक पर्व था तथापि यह राष्ट्रीय स्तर का था। संदेहात्मक परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी पड़ी। परन्तु जांच समिति के निर्देश-पत्र अपर्याप्त हैं तथा मुझे आशा है कि आप इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे तथा घटना की परिस्थितियों की यथोचित जांच के सम्बन्ध में की जाने वाली मांग को ध्यान में रखते हुये अपना निर्णय देंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? अभी श्री सिन्हा ने ७ अध्यादेश पटल पर रखे थे। उनमें १९५४ का अध्यादेश संख्या १ तथा १९५४ का अध्यादेश संख्या २ का कुंभ मेला से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत बनाये गये हैं। अतः यह विषय पूर्णतः न्याय संगत तथा ग्राह्य है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटन) : यहां तो प्रश्न यह है कि कुम्भ मेले का प्रबन्ध करने के लिये भारत के समस्त भागों से करदाताओं से लगभग २० लाख रुपये इकट्ठे किये गये थे। सारे प्रबन्ध, बहुत से केन्द्रीय तथा स्थानीय अधिकारियों की सहायता से रेल विभाग को करने थे। इस विषय पर विचार करने के सम्बन्ध में इस सदन के क्षेत्राधिकार का प्रश्न असंदेहपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव का विषय दुखद घटना है। घटना अध्यादेशों के पारित होने कारण नहीं घटित हुई है। न ही दी गई सैन्य सहायता ही इसका प्रत्यक्ष कारण है। मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस विषय पर वाद विवाद हुआ था तथा मैं समझता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री ने तथ्यों के विषय में एक भाषण दिया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की है। इस सब से यह पता लगता

[अध्यक्ष महोदय]

है कि उत्तरदायित्व किसका है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं बताये गये कारणों पर इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव की अनुमति कैसे दे सकता हूं।

डा० एन० बी० खरे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हूं।

डा० एन० बी० खरे : इसके विरोध में हम सभा-त्याग करते हैं।

आचार्य कृपालानी : श्रीमान, हम सभा त्याग नहीं करते हैं परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस ओर हम से बहुत सों का मत वही है जो सभा-त्याग करने वालों का है।

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव : मैं पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें १९५३ में पांचवें सत्र में संसद के सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक दिये हैं।

(१) समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(२) पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९५२.

(३) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(४) त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(५) धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५३.

(६) पशुधन आयात (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(७) कलकत्ता उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार विस्तार) विधेयक, १९५३.

(८) निरसक तथा संशोधक विधेयक, १९५३.

(९) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(१०) मनीपुर न्याय शुल्क (संशोधन तथा मान्यतादान) विधेयक, १९५२.

(११) नारियल जटा उद्योग विधेयक, १९५३.

(१२) वायदे के सौदे (नियमन) संशोधन विधेयक, १९५३.

(१३) भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३.

(१४) भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५३.

(१५) नमक उपकर विधेयक, १९५३.

(१६) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५३.

(१७) पेप्सू विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५३.

(१८) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(१९) टैलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) संशोधन विधेयक, १९५२.

(२०) रिजर्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक, १९५२.

(२१) भारतीय एकस्व तथा रूपांकन (संशोधन) विधेयक, १९५३.

(२२) अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) विधेयक, १९५३.

(२३) छावनी (संशोधन) विधेयक, १९५२.

(२४) प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व घोषणा) संशोधन विधेयक, १९५३.

प्रख्यापित किए गए अध्यादेश

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अध्यादेशों में से, जो संसद् के सदनों के पांचवें सत्र के समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए थे, प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी (हस्तान्तरित दायित्व) अध्यादेश, १९५३ (१९५३ का ७वां);

(२) उत्तर प्रदेश रेल यात्रा चुंगी अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का १ला) ;

(३) उत्तर प्रदेश रेल यात्रा चुंगी (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का २रा) ;

(४) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का तीसरा) ;

(५) प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का ४ था) ;

(६) विमान निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का ५वां);

(७) निष्क्रान्त निक्षेप हस्तान्तरण अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का ६वां) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२।५४; एस-३।५४; एस-४।५४ एस-५।५४; एस-६।५४; एस-७।५४; तथा एस-८।५४]

पेप्सू के लिये राष्ट्रपति के अधिनियम

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, मुझे पेप्सू विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५३ की धारा ३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखने की अनुमति दी जाये :—

(१) पेप्सू सुधार कर तथा प्रति एकड़ दर अधिनियम, १९५३ (राष्ट्रपति का अधिनियम, १९५४ का १ ला) ; **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये** संख्या ऐस-९।५४]

(२) पेप्सू विधान सभा (अनर्हता निवारण) संशोधन, अधिनियम, १९५४ (राष्ट्रपति का अधिनियम, १९५४ का २रा) **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये** संख्या एस-१०।५४]

(३) पेप्सू कस्बा विकास बोर्ड अधिनियम, १९५४ (राष्ट्रपति का अधिनियम, १९५४ का ३रा) **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये** संख्या एस-११।५४]

(४) पेप्सू चौकीदारी अधिनियम, १९५४ (राष्ट्रपति का अधिनियम, १९५४ का ४था) **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए** संख्या एस-१२।५४]

(५) पेप्सू पशु-धन सुधार अधिनियम, १९५४ (राष्ट्रपति का अधि-

[डा० काटजू]

नियम, १९५४ का ५वां) ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस-१३।५४]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्य समाप्त होता है--अब कोई और कार्य नहीं है । अब सदन की बैठक कल के लिये उठ सकती है। संसद् कार्य मंत्री ने मुझे एक सुझाव दिया था कि सदन की बैठक दो बजे समवेत की जाये--दो बजे से सात बजे तक ।

श्री अलगूराय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़--पूर्व व बलिया--पश्चिम) : दो बजे ठीक है ।

कई माननीय सदस्य : ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक कल दो बजे समवेत होगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १६ फरवरी, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।